मॉड्यूल 6: बच्चों की वैकल्पिक देखरेख

सत्र 2: विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों के कार्य करने की प्रक्रिया

अवधि: 3:53 मिनट

सत्र 2: विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों के काम करने की प्रक्रिया

विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों की कार्य प्रक्रिया क्या है?

आईए अब हम बाल देखरेख संस्थानों के मुख्य कार्यों पर विस्तार से चर्चा करें।

देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों का पुनर्स्थापन (धारा 40, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

1. किसी भी बाल गृह, विषेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण या खुला आश्रय का मुख्य उद्देष्य बच्चे का पुनर्स्थापन एवं संरक्षण (माता–पिता, पालक माता–पिता या अभिभावक, दत्तक माता–पिता या उपयुक्त व्यक्ति के पास) होगा।
2. बाल गृह, विषेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण या खुला आश्रय ऐसे सभी कदम उठायेगी जो बच्चों के पुनर्स्थापन या संरक्षण के लिए जरूरी है, जो अस्थायी या स्थायी रूप से पारिवारिक वातावरण से वंचित रह गए हैं और जो उनके देखरेख तथा संरक्षण में हैं।
3. किसी भी देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे का उसके माता–पिता, अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति के पास यह निर्धारित करने के बाद कि माता–पिता या अभिभावक बच्चे की देखभाल करने के लिए उपयुक्त हैं; बच्चे को पुनर्स्थापित करने तथा उन्हें निर्देश देने का अधिकार समिति को है।

किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों की पुनर्वास एवं पुनर्एकीकरण सेवाएं और उनका प्रबन्धन (धारा 53, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

आईए जानें कि बाल देखरेख संस्थानों में देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के संबंध में क्या कार्य प्रणाली है?

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 53 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सस्थानों द्वारा बच्चों के पुनर्वास और पुनः समेकन की प्रक्रिया के लिए दी जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निर्धारित मानकों के अनुसार मूलभूत आवष्यकताएं जैसे– भोजन, आवास, कपड़ा और चिकित्सीय देखभाल।
- उपकरण जैसे व्हील चेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट या अन्य कोई उपयुक्त सहायक यंत्र तथा उपकरण जिसकी जरूरत विषेष आवष्यकता वाले बच्चों के हो।

- उपयुक्त षिक्षा, जिसमें पूरक षिक्षा, विषेष षिक्षा और विषेष जरूरत वाले बच्चों के लिए उपयुक्त षिक्षा षामिल हो (6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःषुल्क तथा अनिवार्य बाल षिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधान लागू होंगे)।
- कौषल विकास।
- व्यावसायिक उपचार (थेरपी) प्रणाली और जीवन कौषल षिक्षा।
- मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हस्तक्षेप, जिसमें बच्चों की आवष्यकता के अनुसार परामर्ष दिए जाएं।
- मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिसमें खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हों।
- आवष्यकतानुसार कानूनी सहायता की सुविधा।
- जहां जरूरी हो वहां षिक्षा, व्यावसायिक प्रषिक्षण, नषा–मुक्ति, बीमारी के उपचार इत्यादि के लिए संदर्भन सेवाएं।
- मामले का प्रबंधन जिसमें व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना तथा उसका फॉलोअप शामिल हो।
- जन्म पंजीकरण।
- जहां जरूरी हो, पहचान पत्र पाने में मदद करना और
- बच्चे की खुषहाली सुनिष्चित करने के लिए दी जाने वाली अन्य सेवा जो राज्य सरकार द्वारा सीधे दी जाए या पंजीकृत संस्थानों या उपयुक्त व्यक्तियों या संदर्भन सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हों।